पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया
जाता है कि प्रार्थी के विरुद्ध थाना सदर में
मु0अ0सं0 61/2011 में धारा 323, 504, 506 भा0द0वि0
के तहत मामला पंजीकृत किया गया था। प्रार्थी
अभि0 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।
प्रार्थी के अधिवक्ता ने तर्क किया कि प्रार्थी
को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध
कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी को
जमानत पर रिहा किया जाने पर साक्ष्य
प्रभावित करने की संभावना नहीं है।
अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया
जाने का आदेश दिया जाता है।

$\frac{2}{12}$